


15/10/23

फावली पंचायत में वहील जमीन द्वारा पूर्वी पंजी अर्चना कर वास्ते
अर्चना कर विज्ञापन करने वाबत घेरा किया गया है। वहील जमीन
द्वारा अर्चना कर में निबंधन किया गया कि जमीनदाता फावली पर
भाग्यशरी कामवाही नहीं कराए हैं। अतः अर्चना कर विशेष करना
चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अर्चना कर पर भाग्यशरी कामवाही
अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः जमीनदाता जमीन वहील द्वारा
प्रस्तुत अर्चना कर वास्ते अर्चना कर विशेष करने वाबत
ध्यान रखना चाहिए, अर्चना कर पर कामवाही इसी स्तर
पर समाप्त की जाती है। फावली फौजल रुमर है। नम्बर के
क्रम देखकर देखना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)